भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2504

बुधवार, 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन, 1942 (शक)

भविष्य निधि खाते की पोर्टेबिलिटी

2504. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम' के अंतर्गत अब तक कितने श्रमिकों को भविष्य निधि खाते की पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है और देश में ऐसे कितने भविष्य निधि खाते हैं, सरकार द्वारा इस धनराशि को सही व्यक्ति को भेजने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त अदावाकृत धनराशि को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कतिपय खातों को 'निष्क्रिय खाते' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं।

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, कुल निष्क्रिय राशि 2827.29 करोड़ रुपये है तथा ऐसे खातों की संख्या 9,77,763 है।

सही व्यक्तियों को देय राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) सदस्यों को उनकी पीएफ संचित राशियां अंतरित करने या आहरण करने के लिए शिक्षित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से समय-समय पर जागरुकता अभियान आरंभ किए गए हैं।

(ii) 2014 से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का आबंटन करना आरंभ कर दिया है जो नियोक्ताओं की मध्यस्था के बिना सदस्यों की पहचान करने में समर्थ बनाएगा। यूएनएन को धीरे-धीरे आधार और अन्य केवाईसी विवरणों के साथ जोड़ा जा रहा है।

(iii) अक्तूबर, 2017 से, यूएएन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया था।

उपर्युक्त सुविधाएं कोविड महामारी के दौरान भी सक्रिय थीं ताकि ईपीएफ के सदस्य इन सेवाओं को निर्बाध प्राप्त करते रहें।

(ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पेंशनधारकों के लिए एक चिकित्सा योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन कर दिया है।

* ****

अनुबंध

भविष्य निधि खाते का सुवाह्यता के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम, माननीय सांसद द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2504 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3598
2	आंध्र प्रदेश	634391
3	अरुणाचल प्रदेश	1063
4	असम	61025
5	बिहार	228522
6	चण्डीगढ़	292031
7	छत्तीसगढ़	270154
8	दिल्ली	2139414
9	गोवा	127202
10	गुजरात	2095154
11	हरियाणा	2259161
12	हिमाचल प्रदेश	221105
13	जम्मू और कश्मीर	17611
14	झारखण्ड	276936
15	कर्नाटक	3866887
16	केरल	350792
17	लद्दाख	179
18	मध्य प्रदेश	617485
19	महाराष्ट्र	6055674
20	मणिपुर	2238
21	मेघालय	5173
22	मिजोरम	282
23	नागालैण्ड	848
24	ओडिशा	351871
25	पंजाब	380677
26	राजस्थान	739755
27	सिक्किम	11935
28	तमिलनाडु	2933113
29	तेलंगाना	1515592
30	त्रिपुरा	4834
31	उत्तर प्रदेश	1457658
32	उत्तराखण्ड	456082
33	पश्चिम बंगाल	887982
	कुल	**2,82,66,424**

*****